श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

क्रमांक:एफ-3/LBSNSU/Ph.D/2021-22/ 3489 · दिनांक:-20.01.2023

कार्यालयीय सूचना

कार्यालय अधिसूचना संख्या एफ-3/Education/Entrance Test/2022-23/1016 दिनांक 19.01.2023 के निरन्तर में सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध स्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अस्थायी पंजीकरण हेतु द्वितीय विषयानुसार वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रेषित की जा चुकी है। प्रत्येक विषय की सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अस्थाई पंजीकरण हेतु **दिनांक 23.01.2023 से 31.01.2023 तक व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग में उपस्थित होकर अपने मूल प्रमाण पत्रों की जाँच करवाना तथा शैक्षणिक विभाग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरान्त प्रवेश शुल्क आफलाइन माध्यम से लेखा विभाग में जमा करवाना अनिवार्य है। उक्त तिथि के पश्चात किसी भी परिस्थिति** में प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वंय उत्तरदायी होगा।

शैक्षणिक नियम परिचायिका में प्रदत्त नियमों के अनुसार अभ्यर्थीयों को अस्थाई पंजीकरण हेतु निम्नलिखित मूल-प्रमाणपत्र तथा स्वंय सत्यापित प्रतियाँ शैक्षणिक विभाग में जमा करवाना अनिवार्य है।

1. पूर्व-उत्तीर्ण-परीक्षाओं की उत्तीर्णता के विषय में विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त संस्था द्वारा जारी प्राप्त प्रमाणपत्र।
2. जन्मतिथि-प्रमाणपत्र (मैट्रिक या तत्समकक्ष-परीक्षा का प्रमाणपत्र, जिसमें जन्म-तिथि का उल्लेख हो)।
3. चरित्र-प्रमाणपत्र (पूर्व-संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा) (अंशकालिक-पाठ्यक्रम के प्रवेशार्थी राजपत्रित अधिकारी/संस्था-प्रमुख जहाँ अभ्यर्थी ने अध्ययन किया हो या कार्यरत हो, के द्वारा)।
4. **मूल-स्थानान्तरण-प्रमाणपत्र (टी.सी.)/ निष्क्रमण-प्रमाणपत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)/ अंक-तालिकाएं (मार्कशीट) अनिवार्यरूप से शैक्षणिक-विभाग में जमा करानी होंगी,**
5. क्रीडा-सम्बधी-प्रमाणपत्र (राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाणपत्र (यदि हो)।
6. प्रमाणपत्र (यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित-जाति, जनजाति या नॉन-क्रिमीलेयर-सम्बन्धी पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक-वर्ग, आर्थिक कमजोर श्रेणी, या विकलांग-श्रेणी का हो)। (नगर मजिस्ट्रेट, सबडिविजनल मजिस्ट्रेट/ तहसील/एम.आर.ओ. द्वारा निर्गत अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति-प्रमाणपत्र हो। विकलांग प्रत्याशियों के लिए मुख्य स्वास्थ्य-अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय। (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता पर ही विचार किया जायेगा।)
7. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के निर्देशानुसार विभिन्न-पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट सभी अभ्यार्थियों को अपने आधार-कार्ड एवं बैंक-खाते से संबंधित-दस्तावेज़ की प्रतिलिपि प्रवेश-आवेदनपत्र के साथ
   संलग्न करना अनिवार्य
8. जे आर एफ परीक्षा उर्तीण अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही अस्थाई प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

अस्पष्ट प्रमाण पत्रों के आधार पर किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा। शिक्षण अवधि में किसी भी स्तर पर यदि कोई प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का अस्थाई पंजीकरण स्वयं निरस्त माना जायेगा।

यह सूचना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी की जा रही है।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. समस्त पीठ प्रमुख
02. समस्त विभागाध्यक्ष
03. निदेशक आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा कुलानुशासक
04. शैक्षणिक संयोजक
05. उपकुलसचिव (परीक्षा/शैक्षणिक विभाग)
06. सिस्टम एडमिनिस्ट्रट को इस आशय से प्रेषित कि वे सूचना को वेबसाइट पर अंकित करने का कष्ट करें।
07. सहायक कुलसचिव प्रशासन 1 एवं नोडल अधिकारी प्रवेश परीक्षा
08. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव
09. कार्यालय आदेश पंजिका

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)